ओ0पी0 सिंह,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या-20/2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमती नगर विस्तार-7
पुलिस मुख्यालय,उ0प्र0 लखनऊ।
दिनांकःजुलाई ,2019

प्रिय महोदय,

लोकतंत्र में नागरिको की सम्पत्ति, जीवन और अधिकारों की सुरक्षा बनाए रखना पुलिस जन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्रत्येक पुलिस कर्मी का यह परम कर्त्तव्य है कि वह अपने कर्त्तव्यों, दायित्वों, प्राधिकारों का सम्यक निर्वहन एवं निष्पादन त्रुटिहीन और विधिक रूप से करे, जिसके निमित्त विधि, नियम और विभागीय विनियमों का पूर्ण ज्ञान होने के साथ-साथ उनके यथोचित परिपालन की आवश्यकता होती है।

2- समय-समय पर पुलिस हिरासत से अपराधियों के भाग जाने की घटनाऐं हो रहीं हैं। अब तक घटित ऐसी घटनाओं का परिशीलन किये जाने पर अधिकतर प्रकरणों में कहीं न कहीं ड्यूटी मे लगे हुए सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही ही परिलक्षित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप असहज परिस्थिति उत्पन्न होने के साथ छूटे हुये शातिर अपराधियों द्वारा पुनः जघन्य अपराध कारित करने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है, जिससे लोकव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ेगा।

3- पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्तों/विचाराधीन बन्दियों को एक जेल से दूसरे जेल एवं न्यायालय पेशी हेतु लेकर आने व जेल पहुंचाने आदि सम्बन्ध में कुछ नियम व मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं, जिनका त्रुटिरहित व सुरक्षित मुल्जिम ड्यूटी हेतु पालन किया जाना अपरिहार्य है। बन्दियों/अभियुक्तों के एक जेल से दूसरे जेल व मा0 न्यायालय में पेशी हेतु ले जाने ले आने की ड्यूटी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। बाहर ले जाने वाले अपराधियों को **"कमान ड्यूटी"** तथा जिले के अन्दर न्यायालय में पेशी पर ले जाने वाले अभियुक्तो को **"मुल्जिम ड्यूटी"** के नाम से जाना जाता है। दोनों ड्यूटियां अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें सतर्कता पूर्वक किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस के **'Rules for Guards and Escorts'** के अध्याय 06 में बन्दियों के स्कोर्ट की व्यवस्था तथा इसी नियम के परिशिष्ट-2 में बन्दियों के साथ भेजे जाने वाले पुलिस बल की व्यवस्था दर्शायी गयी है, जिसका अनुपालन अपेक्षित है।

डीजी परिपत्र-19/2006
डीजी परिपत्र-58/2008
डीजी परिपत्र-39/2013
डीजी परिपत्र-37/2016

इस प्रकार की घटनाओ की रोकथाम हेतु पूर्व में इस मुख्यालय से पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत कर विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। पूर्व में निर्गत परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भली प्रकार अनुपालन अपेक्षित है। विचाराधीन बन्दियों एवं गिरफ़्तार अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में मा0 न्यायालय व कारागार के मध्य आवागमन के समय सुरक्षा-व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1- रिजर्व पुलिस लाइन में **CER** व **AER** में गार्ड एण्ड एस्कोर्ट रूल का सघन प्रशिक्षण दिया जाय तथा मुल्जिम ड्यूटी करने वाले कर्मियों को इस ड्यूटी की बारीकियों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान कराया जाय।

2- प्रत्येक बन्दी के साथ उचित व पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाय। अक्षम पुलिस कर्मियों की ड्यूटी न लगायी जाय। ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी मानसिक एवं शारीरिक तौर पर पूर्णतया स्वस्थ एवं सक्षम हों।

3- किसी बन्दी के साथ उन्हीं पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगातार न लगायी जाये जो विगत में उस बन्दी के साथ-साथ ड्यूटी कर चुके हों। ड्यूटियां रोटेशन से बदल कर लगायी जायें। इस सम्बन्ध में उचित होगा कि प्रत्येक बन्दी की पिछली ड्यूटियों को चेक कर हरेक ड्यूटी में उसके साथ नये कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाये।

4- जघन्य अपराध के अभियुक्तों एवं शातिर किस्म के अपराधियों जिनके भागने की आशंका हो उनके परिचालन मे विशेष सतर्कता बरती जाय तथा आवश्यतानुसार मा0 न्यायालय से अनुरोध कर बन्दी को हथकड़ी लगाकर ले जाने हेतु आदेश प्राप्त कर लिया जाय, ऐसे बन्दियों की ड्यूटी में पुलिस बल की संख्या बढ़ा ली जाय।

5- गम्भीर अपराध के बंदियों को मा0 न्यायालय में भौतिक रूप से पेशी के बजाय उन्हें वीडियोकांफ्रेन्सिग के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु प्रयास किया जाय।

6- बन्दी डियूटी में जाने वाले सभी पुलिस कर्मियों को प्रतिसार निरीक्षक/उपनिरीक्षक उनके कर्त्तव्य के सम्बन्ध में समुचित दिशा-निर्देश देते हुये भली प्रकार ब्रीफ किया जायेगा। प्रतिसार निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगें कि बन्दी वाहन की गोपनीयता बनाये रखते हुये अल्प समय में कर्त्तव्य निर्धारण (ब्रीफिंग) करते हुये प्रस्थान करायें।

7- बन्दी को पुलिस वाहन से ही एक जनपद से दूसरे जनपद के न्यायालय में पेशी हेतु ले जायें।

8- शातिर व कुख्यात बन्दियों के आवागमन हेतु जी0पी0एस0 युक्त वाहन का प्रयोग किया जाये तथा वाहन का समय-समय पर लोकेशन चेक करें। जिस वाहन से बन्दी को पेशी में ले जा रहे हों उस वाहन में सी0सी0टी0वी0

Scanned by CamScanner

कैमरा/डी0वी0आर0 कार्यशील दशा में लगा होना चाहिए। एस्कोर्ट प्रभारी को जी0पी0एस0 सुविधा से युक्त स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिये जायें तथा उसे किस प्रकार इसका प्रयोग करना है इसका प्रशिक्षण उसे करा दिया जाये ताकि वह अपना रियल टाइम लोकेशन गूगल के माध्यम से प्रेषित कर सके।

9- स्कोर्ट प्रभारी प्रत्येक 2-3 घण्टे पर प्रतिसार निरीक्षक व कण्ट्रोल रूम को फोन कर बन्दी व स्कोर्ट पार्टी के लोकेशन की जानकारी देंगे एवं यथासंभव **smartphone** पर बन्दी के साथ यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाले किसी लैण्डमार्क जैसे माइलस्टोन इत्यादि की फोटो लेकर लोकेशन भेजेंगे, ताकि ट्रेकिंग में सुविधा हो। जब किसी पेशेवर/शातिर अपराधी को एक जनपद के जेल से दूसरे जनपद की जेल के लिए रवाना किया जाये तो सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक मार्ग में पड़ने वाले अन्य जनपदों के पुलिस अधीक्षक एवं एस0टी0एफ0/ ए0टी0एस0 के सक्षम अधिकारी को भी इस सम्बन्ध में अवगत करायेंगे।

10- बन्दी ड्यूटी में ट्रेन से यात्रा के दौरान जी0आर0पी0 थाने व ट्रेन के एस्कोर्ट कर्मियों की मदद ले सकते हैं। ट्रेन जब चलने वाली हो या चल रही हो तो बन्दी को लेकर गेट पर न खड़े हों क्योंकि ऐसे समय में गाड़ी धीमी होने पर बंदी गाड़ी से कूदकर भाग सकता है।

11- रास्ते में बन्दी वाहन को भोजन हेतु ढाबे/होटल पर कदापि न रोका जाये और अपराधी को किसी अन्य से खाने पीने की चीजें प्राप्त कर खाने न दिया जाय। अपरिहार्य दशा में गन्तव्य स्थान को जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले थानों/पुलिस लाइनों में रूक कर ही नित्यकर्म व भोजन आदि किया जाये। बन्दी को नित्यकर्म कराते समय विशेष सतर्कता बरती जाय तथा उसे उस दौरान अकेला नही छोड़ा जाये। इसी प्रकार सभी सुरक्षा कर्मी एक साथ नित्यकर्म करने शौचालय न जाये, क्योंकि इसी दौरान अधिकतर घटनाएं घटित होती हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में विश्राम या अन्य कारणवश मार्ग में रूकना पड़े तो कैदी को स्थानीय थाने मे (राहदरी) में दाखिल किया जाये तथा जीडी में इसका इन्द्राज किया जाये।

12- प्रदेश में सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी के दौरान अपने क्षेत्र में किसी मुल्जिम के साथ किसी पुलिसकर्मी को आपत्तिजनक व संदिग्ध परिस्थिति में देखें तो उन्हें तत्काल चेक करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए उनके लियन उस जनपद के वरिष्ठ अधिकारी को संसूचित करेंगे। एस्कोर्ट के साथ लगातार चल रही अन्य गाड़ियों के **Convoy** की सूचना अविलम्ब जनपदीय पुलिस के स्थानीय क्षेत्राधिकारी को एस्कोर्ट प्रभारी द्वारा दी जाये, जिनके द्वारा आकस्मिक चेकिंग कर अपेक्षित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। कानवाय के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने जनपद के पुलिस अधीक्षक/प्रतिसार निरीक्षक को भी तत्काल अवगत कराया जाये ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

13- मुल्जिम के आवागमन के समय किसी भी हालत में निजी व उसके साथ के लोगों को बन्दी वाहन में बैठने या मिलने न दिया जाये तथा खाने-पीने की कोई वस्तु न दिया जाये।

14- न्यायालय में पेशी हेतु ले जाये गये अभियुक्त को हवालात से सीधे सम्बन्धित न्यायालय में लेकर जायेंगे तथा पेशी के उपरान्त सीधे हवालात लेकर आयेंगे। बन्दी को मोबाइल फोन का प्रयोग न करने दें और न ही किसी बाहरी व्यक्ति/परिजनों से मिलने-जुलने दिया जाये। बन्दी को उसकी व उसके परिवारिजन/सम्बन्धियों की इच्छानुसार उसे किसी बाजार/शॉपिंग मॉल/होटल अथवा किसी अन्य के यहां लेकर कदापि नहीं जायेंगे।

15- यदि बन्दी की तबियत अचानक गम्भीर रूप से खराब हो जाये तो स्थानीय थाने के सहयोग से निकटतम सरकारी अस्पताल में ले जाया जाये तथा उस दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरती जाये एवं एस्कोर्ट प्रभारी अपने प्रतिसार निरीक्षक को इस सम्बन्ध में तत्काल सूचित करे। प्रतिसार निरीक्षक इस तथ्य को तत्काल उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाये ताकि इस व्यवस्था का दुरूपयोग न होने पाये।

अतः प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र में अंकित निर्देशों का भली प्रकार अध्ययन कर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

9.7.19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद प्रभारी उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतुः-

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, एटीएस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner